कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, अनूपपुर (म0प्र0)

E-mail : dfotanppur@mp.gov.in Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 1029 अनूपपुर, दिनांक 3/7/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
वन भवन तुलसी नगर भोपाल म.प्र.

विषय :– अनूपपुर जिले के अंतर्गत वन मण्डल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1x660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापना–इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हे. वनभूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग–2, म0प्र0पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, चचाई को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/THE/130772/2021)

संदर्भ :– 1– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6 एम.पी.आर.009 / 2022–बी.एच.ओ. / I / 74142 दिनांक 07.06.2024

2– आपका पृ.पत्र क्र. / 3110 दिनांक 13.06.2024

3– कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग– दो म.प्र.पा.ज.क.लि. चचाई का पृ.क्र. / 180 दिनांक 14.06.2024

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र क्र. 01 द्वारा प्रकरण में तीन बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 03 से भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी आपकी ओर प्रेषित् कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 1030 अनूपपुर, दिनांक 3/7/2024

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।

2– कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग– दो म.प्र.पा.ज.क.लि. चचाई अनूपपुर की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
कार्यालय कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग –दो
अमरकंटक ताप विद्युतगृह, चचाई, जिला–अनूपपुर (म0प्र0) 484220
(CIN–U40109MP2001SGC014882) Mail-eecivil2atps@gmail.com

आज़ादी का अमृत महोत्सव

53

क्रमांक 001–7300/660 MW.Unit/ 180 चचाई दिनांक 14/06/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध)
वन भवन तुलसी नगर
भोपाल (म.प्र.) – 482003

विषयः– अनूपपुर जिले के अंतर्गत वनमंडल अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 1x660MW सुपरकिटिकल इकाई की स्थापना– इकाई के उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु 6.171 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन अभियंता (सिविल) निर्माण संभाग– 02 म.प्र.पा.ज.क.लि.चचाई को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/एफ–04/41/2022/10–11/3109 भोपाल दिनांक 13.06.2024.

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6–एम.पी.आर 009/2022– बी एच ओ/I/74142 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा वांछित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है–

(1) Regarding the earlier approvals accorded in the year 1963, 1967, and 2006 as shown in KML file and details of forest land (Annexure 1&2) the detail is as below:-

(a) In the year 1963 Govt. of M.P. forest department issued the order No. 10737-9397-X dtd. 25.09.1963 regarding ceasing the status of reserve forest of Burhar Khutwa Block No.X for the purpose of constn. of railway siding for Amarkant Thermal Power Station ,24 Acres forest land was considerded for disforestation. This is the part (c) of KML file. (Annexure-3)

(b) In the year 1967 land Acquistion Officer Shahdol in the case No. 9/ Land-Acq./65/ issued the award on dtd. 14.07.1967. In this Award the Khashra No. 417/1 & 453 was acquired, at the time of acquisition these khasras were forest. These are respectively the part (d&e) of KML file. The copy of award is enclosed herewith. (Annexure 4)

(c) In the year 2006 vide the Govt. of India Ministry of Invoirment & Forest Bhopal order No. 6-MPB085/2005-BHO/1057 dtd. 08.06.2006 3.668 Hect. forest land was diverted for the work related to constn. of Extension unit No-5 of 210 MW. of Amarkantak Thermal Power Station. This is the part (f+g+h) of KML file. (Annexure-5)

(2) The 6.171 Hect. land in required in two components i.e. one part(a) of 2.00 Hect. and part (b) of 4.171 Hect. as shown in the KML file.

(3) On the northern part of the project shown in KML file is forest area under the possession of D.F.O. Anuppur.

उपरोक्तानुसार वांछित जानकारी आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(आर.के. शर्मा)
कार्य.अभि.(सिविल) निर्माण संभाग–दो
म0प्र0पा0ज0कं0लि. चचाई

प्रतिलिपि :–

1. तकनीकी अधिकारी (वानिकी) पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल।
2. मुख्य वन संरक्षक शहडोल वृत शहडोल (म.प्र.)
3. वनमंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल अनूपपुर (म.प्र.)
4. मुख्य अभियंता (सिविल–अभि.) म0प्र0पा0ज0कं0लि. जबलपुर।
5. मुख्य अभियंता (उत्पा.) अ.ता.वि.गृह, म0प्र0पा0ज0कं0लि.चचाई।
6. अधीक्षण अभियंता (सिविल) अ.ता.वि.गृह, म0प्र0पा0ज0कं0लि. चचाई।

(आर.के.शर्मा)
कार्य.अभि.(सिविल) निर्माण संभाग–दो

OIC

D:/Reshama/Sharma Sir/Hindi Letter

KML File of Details of Forest Land already aquired and 6.171 Hect. to be acquired

Details of forest land

S.No.	Colour	Nomencl eature	Remark
1	Yellow	(a)	2.00 Hectere forest Land required for 1x660 MW
2	Yellow	(b)	4.171 Hectere forest Land required for 1x660 MW
3	Dark Blue	(c)	9.712 Hectere (24 Acre) forest land already acquired in the year 1963
4	Pink	(d) & (e)	3.731 Hectere (9.22 Acre) forest land already acquired in the year 1967 (453(e) 2 417(d))
5	Light Blue	(f) +(g) + (h)	3.668 Hectere forest land already acquired in the year 2006 for 1x210 MW

E.E. (Civil) Constn. Dn. II
ATPS, MPPGCL, Chachai

ANNEXURE-3

[*Published in Part I of the "Madhya Pradesh Rajpatra", dated the 17th January 1964.*]

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FOREST DEPARTMENT

Bhopal, the 25th September 1963.

No. 10757-9397-X.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby directs that the forest area specified in the below, which in notification of Rewa Durbar No. 35, dated the 27th May 1935, was declared to be a reserved forest, shall cease to be a Reserve Forest, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Rajpatra".

SCHEDULE

Division—South Shahdol Division.

District—Shahdol.

Tahsil—Sohagpur.

Range—Budhar.

Name of forest blocks	Comptt. or coupes Nos.	Approximate area in acres	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)
Budhar Reserve Silpari block No. VIII.	Coupe Nos. IV, V, XXII, XIX of Silpari F.S.	77.2	*North*—Cut line from disforestation demarcation pillar No. 7 to 20. *East*—Reserve Forest boundary line between R. F. boundary pillar 176 to disforestation demarcation pillar No. 25. *South*—Cut line from R.F. boundary pillar No. 176 to disforestation demarcation pillar No. 25. *West*—Cut line from disforestation demarcation pillar No. 20 to 25.
Budhar Reserve Silpari block No. VIII.	Coupe No. XXVI of Silpari F.S.	14.8	*North*—Cut line from disforestation demarcation boundary pillar No. 1 to 3. *East*—R. F. boundary line. *South*—Cut line from disforestation demarcation pillar No. 42 to 44. *West*—R. F. boundary line between disforestation demarcation pillar No. 12 and 42.
Budhar Reserve Khutwa block No. X.	..	24	*North*—Cut line from R. F. boundary pillar No. 12 to disforestation demarcation pillar No. 6A. *East*—R. F. boundary line between R. F. boundary pillar No. 12 to disforestation demarcation pillar No. 41. *South*—Cut line from disforestation demarcation pillar No. 36 to 41. *West*—R. F. boundary line between demarcation pillar No. 6 A and 36.
Total ..		116	

Brief description

The area containes a crop of sal and it associates of quality IV A. The density is 0.5.

Reasons for disforestation

The area is to be acquired by Thermal Power Station, Amarkantak for construction of Railway siding.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
BRAHMA SWARUP, Dy. Secy.

GCPB—DF—12-2-64—50.

न्यायालय भू अर्जन अधिकारी जिला शहडोल म०प्र० 474 13

प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/64

अवार्ड ----

(भू अर्जन अधिनियम १८६४ की धारा ११ के अन्तर्गत)
(दिनांक १८ जुलाई १९६७)

डिविजनल इंजीनियर एलिक्ट्रिक सिटी बोर्ड चचाई के अनुरोध पर चचाई थरमल पावर स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम चचाईआबाद, खोली, देवरी किल्हौरी, एवं मड़ियारास तहसील सोहागपुर के काश्तकारों की भूमि के अर्जन के संबंध में भू अर्जन अधिनियम १८६४ की धारा ४(२) के आधीन म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक ४५०६।३१७०।सात-सा-१ दिनांक १६-८-६४ को प्रकाशित होने पर भू अर्जन अधिनियम की धारा ६ की अधिसूचना प्रकाशित किये जाने हेतु शासन से निवेदन किया गया। धारा ५-अ के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होते तथा धारा १७ की उपधारा (१) के उपबंध उसके संबंध में लागू नहीं होते।

भू अर्जन अधिनियम की धारा ६ की अधिसूचना क्रमांक ६०१३।३१७०।सात-सा-१ दिनांक १०-११-६४ से म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई। तत्पश्चात धारा ९ के अन्तर्गत संबंधित काश्तकारों को नोटिस अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध आपत्तियां सुनने हेतु दी गई। आपत्तियां लिखित रूप में काश्तकारों द्वारा प्रस्तुत की गई जो कि शामिल प्रकरण है। आपत्तियों के अवलोकन करने से पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का मुआवजा काश्तकार उचित चाहते हैं।

प्रश्नाधीन भूमि की नाप मौके से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा की जाकर भूमि का खसरा फार्म १० एवं ११ तैयार किया गया जो कि प्रकरण में संलग्न है। खसरा व जमाबन्दी के अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि का मिलान अधिसूचना धारा ६ में प्रकाशित प्रत्येक खसरे नम्बरों में अंकित भूमि से किया गया जिससे पाया गया कि ग्राम चचाई के खसरा नं० ३१७।१-२०, २६१।१।?५०, २६१।२।०-२०, २६१।३।०-०६, २१०।०-१४, ३१६।०-७८, २९९।०-५६, २६७।०-२१, १०१।०-०४, ३१।१-३४, १५३।०-३३, ३०७।१-७८, २५६।१-१९, १०७।०-४१, २३२।१-६८, ग्राम देवरी के खसरा नं० ४६०।०-२२ ४८१।१।०-५३ एवं ग्राम मड़ियारास, के खसरा नं० २३०।२-३६, ५४५।०-३०, ६०१।०-२९ ६७९।२-१९, ६१।०-७९, १६६।०-२४, ५७७।०-५३ का प्रकाशन हो चुका है जबकि उपरोक्त भूमि का अर्जन नहीं होना है।

ग्राम चचाई के खसरा नं० ७२ रकबा १८-०० एकड़, २५८।१५-६३, ८३।७-२८, २४७।१।१-५० एवं २७५।११-५७ का प्रकाशन अधिसूचना में हुआ लेकिन नाप के अनुसार

--------२

४९८ २५९ (१२)

अर्जन की जाने वाली भूमि का सकीर रकबा क्रमश: २-६८, १३-६३, ४-००, ४-७२, ६-५७ एकड़ है इसमें से खसरा नं० २४७।१ की भूमि ३-२२ एकड़ की अधिसूचना नहीं प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार ग्राम देवरी के खसरा नं० ४१७।२ रकबा १०-०० एकड़ भूमि की भी अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई है जबकि उपरोक्त खसरे की भूमि का अर्जन किया गया है। ग्राम मेड़ियारास के खसरा नं० ६१ रकबा ०-७९ एकड़ भूमि का प्रकाशन दो बार अधिसूचना में हुआ है। अत: इस भूमि की निरस्तगी हेतु शासन से निवेदन किया जावे।

प्रश्नाधीन अर्जित की जानेवाली भूमि किस्म तालाब, बांध३, बहरा२, ३, दुमट३, ४ गटौर१? २? ३? ४? भीटा, मेड़ बगार एवं जंगल है। इनमेंसे किस्म जमीन तालाब भीटा मेड़, पर बन्दोबस्त से कोई शरह रेट लगान कायम नहीं हुआ है तालाब किस्म की भूमि का बांध किस्म की भूमि के अनुसार ही गणना होती है। यानी अच्छी किस्म की भूमि मानी जाती है भीटा व मेड़ बगार के समकक्ष की भूमि है। अतएव तालाब के लगान का शरह रेट ३-०० रुपया व भीटा एवं मेड़ का ०-२५ पैसा प्रति एकड़ के अनुसार लगान कायम किया जाना उचित है और उसी अनुसार मुआवजा भी काश्तकारों की भूमि का निर्धारित किया जावे। शेष किस्म की भूमियों का शरह रेट लगान बन्दोबस्त से कायम है जिसका विवरण ग्राम वार निम्न प्रकार है।

ग्राम मेड़ियारास:- बांध २-२-२५, बांध३-१-५०, बहरा३-२-६२, बहरा३-२-२५ गटौर १-१-८७, गटौर२-१-१२, गटौर३-०-७५ गटौर४-०-३१, बगार०-२५ दुमट३ १-५०, दुमट ४-०-३७

ग्राम चचाई आबाद:- बांध२ १-८७, बांध ३-१-२५, बहरा२२-२५, बहरा३-१८७ गटौर १-१-८७, गटौर२ १-२५, गटौर३-०-६२, गटौर४-०-३१, बगार-२५ दुमट ३-१-२५, दुमट४०-३७।

ग्राम देवरी:- बांध१-३-००, बांध२-२-२५, बांध३१-५०, बहरा२-२-२५, बहरा३-१-८। गटौर१-१-८७, गटौर२-०-६४, गटौर३-४२, गटौर४-०-३२, बगार०-२५, दुमट ३ १-२५, दुमट ४ ०-३७।

ग्राम किल्हौरी:- बांध २ १-८७, बांध ३ १-२५, बहरा२ १-८७, बहरा३१-८७, गटौर१ १-३७, गटौर२-०-७५, गटौर३, ०-३१, गटौर४ ०-३१ बगार०-२५, दुमट३१-५० दुमट४ ०-३७

ग्राम खोली:- बगार०-२५, गटौर२ १-२५, गटौर३ ०-५०, बांध ३ २-००।

प्रश्नाधीन भूमि का मुआवजा निर्धारण करने हेतु उप पंजीयक कार्यालय सोहागपुर से ग्राम खोली, देवरी, मेड़ियारास, एवं किल्हौरी में विक्री की गई भूमि सन् १९६३-६४ की ६ किता रजिस्टर्ड विक्रीनामे की सूची प्राप्त किया जो कि

प्रकरण में शामिल है, एवं उसी आधारपर भूमि की औसतन कीमत आंकी गई, भूमि की औषातन कीमत एक पैसे लगानी भूमि की कीमत ७-२८ पैसा आंकी है।

इसके अतिरिक्त पूर्व अवार्ड का भी अवलोकन किया जिसमें १ आना लगानी भूमि पर ३१-३१ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था यह अवार्ड सन् १९६२ में दिया गया था समयानुसार भूमि की कीमत पर वृद्धि करना उचित भी है।

काश्तकारों ने अपनी जमीनों को जो सुधारा है, उसका फायदा काश्तकारों को दिया जाना उचित है। अस्तु भूमि की कीमत मौजूदा किस्म जमीन के लगान के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

CANCELLED
FOR COPYING FEES ONLY
ONE

उपरोक्त समीबातों को मद्दे नजर रखते हुए भूमिका मुआवजा एक पैसे लगानी भूमि पर ७-२८ पैसे के हिसाब से मुआवजा दिया जाना स्वीकार किया जाता है। काश्तकारों को मुआवजा पत्रक के अनुसार मुआवजा वितरण किया जावे एवं मुआवजा पत्रक के खाना नं० ३ में अंकित काश्तकारों को मुआवजा दिया जावे। भूमि में स्थित वृक्षों की किस्म चार, छिउला, हर्रा, महुआ सरई, साजा, जामुन, वंबूर व आम है। जिसका कि मूल्यांकन मौके से किये जाने हेतु मौका निरीक्षण किया गया व निम्न रेट से मुआवजा पेड़ों का दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

१- आम बड़े ८०) छोटे ५०।

२- महुआ ४०), ३- सरई ५), साजा५), छिउला३), चार३), वंबूर५), जामुन १०), हर्रा१०)

इस प्रकार से कुल २२७-८६ एकड़ भूमिका मुआवजा १२५०४३-६६ रुपया निर्धारित किया जाता है।

डिविजनल इं० म०प्र० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चचाई को लिखा जावे कि वह मुआवजे की धनराशि १२५०४३-६६ रुपया शीघ्र भेजे ताकि काश्तकारों को भूमि के मुआवजे की रकम वितरण की जा सके।

शेष भूमि जिसका कि प्रकाशन अधिसूचना में नहीं हुआ है उस संबंध में म०प्र० शासन से अधिसूचना प्रकाशित किये जाने हेतु निवेदन किया जावे।

भू अर्जन अधिकारी
वास्ते जिलाध्यक्ष शहडोल म०प्र०

-------४

क्रमांक ६। मु०आ०। ६४

प्रतिलिपि :- शहडोल, दिनांक जुलाई १९६७

१- डिविजनल इंजीनियर म०प्र० इ० बो० चचाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जावे । कृपया मुआवजे की धनराशि शीघ्र इसकार्यालय में भेजी जावे ।ताकि काश्तकारों को वितरण कीजा सके ।

२- तहसीलदार सोहागपुर को सूचनार्थ । कृपया संबंधित काश्तकारों को मुआवजे के संबंध मेंसूचित कराया जाकर तामीली रिपोर्ट भेजें ।

भू अर्जन अधिकारी
वास्ते जिलाध्यक्ष शहडोल म०प्र०

शर्मा १३-७

COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY ONE RUPEE

CANCELLED

	३ ४	४	५	६	७	८
लाल ...खनंद बहीरा	१-खेलावन पिता हीरालाल कुर्मी	२०६	गटौर३	गटौर१	०-२६	०-३२
	२-समरथपितासुखनंदन	५५८	गटौर२	गटौर१	०-५३	०-६६
सुखनंदनपितामानचुनी कुर्मी	खुद	२१५	बगार	बहरार२	१-२५	३-२७
जातधारीपिता शिवदीन अहीर	,,	२१७।१	बगार	बगार	२-२५	०-५५
सुदीन पिता बालगोविन्द अहीर	जातधारीअहीर	२१८	बगार	बगार	१-४०	०-३७
रामसहाय पिता शिवचरन कुर्मी	रामपदारथव विशालिपटेल	२६१	गटौर२	गटौर२	१-१२	१-२५
जाराखन पिता रघुवर कुर्मी	१-काविज खेलावनकुर्मी	५३४	गटौर३	गटौर१	०-३०	०-५६
	२-सुखनंदनकुर्मी	५३४			०-६६	१-८५
मिट्ठूपिता प्यारेकुर्मी	खुद	६८२	बेहरा३	बेहरा३	०-६५	१-४६
		६८१।११७६	गटौर३	गटौर३	०-१२	०-०६
		२किता	-	-	०-७७	१-५५
कुल मीजान		६४किता	-	-	४४-६७	४८-२८

मुआवचा पत्रक ग्राम देवरी तहसील सोहागपुर वास्ते भू अर्जन भूमि

रकबावलिदयत	नामकाविज काश्तकार	खसरा नं०	कि०जमीन बन्दोबस्त	किस्मजमीन मौजूदा	दो०जो मुप्राप्तहुआ	लगान
	३	४	५	६	७	८
...रील	-	३६३।१	नं जंगल	गटौर२	४-००	३-७६
घरील	-	३६३।२	नं. जंगल	बगार	१०-००	२-५०
		४१७।१	,,	गटौर१	१०-५०	१६-६३
		४५०	भीटा	भीटा	०-२६	०-०७
		४५१	तालाब	तालाब	०-५८	१-७४
		४५२	भीटा	भीटा	०-३५	०-०८
		४५३	न०जंगल	बगार	८-००	२-००
		६किता	-	-	२६-७२	२६-०८
	मिट्ठूकोल	४३८	बगार२	बगार	०-७५	०-

मानचित्र मावजा भूमि काश्तकारान का [illegible]

नाम ग्राम	नाम पट्टेदार काश्तकार मय वल्दियत कौमियत सकूनत	नाम काबिज काश्तकार मय वल्दियत कौमियत सकूनत	खसरा नं०	किस्म जमीन बन्दो०	वर्तमान स्थिति के मुताबिक किस्म जमीन	सर्वे रेट	तादाद रकबा	तादाद आन	दर रेट	तादाद मावजा भूमि	भूमि के मावजे पर	मावजा दरख्तान किस्म	तादाद	मावजा	मावजा मकान	योग कुल मावजा	
१ देवरी १४४	बेसाना वल्द रघु बरदीन पंसारी सा० देह फौत	बेसना वल्द रघुरुद्दीन पंसारी सा० केल्हारी वारिस	३६१	वगार१	वगार१	-६	३-३३	०-८४	१-)	१२२-७१	६३-१०					१४८६-११	Paid 14/3/63
३ ,,	शिवचरण वल्द लूसन व वाल्गोविन्द वल्द मफिला पसारी सा० देह	शिवचरण वल्द लूसन व ओसनमा वल्द बालू गोविन्द सा० केल्हारी	१४०७	जंगल	गटौर३	-७	२-००	१-२१				महुवा ८	२०-००	१६०-००			
					वगार	-४	१-६८	१-६४									
			रकबा				१०-६८	३-२५	१-)	१६६२८-२५	२४४-२३	महुवा ८		१६०-००		[illegible]	Paid 15/3/63
४ ,,	नन्दी वल्द मुण्डा महरा सा० देह फौत	चरकू वल्द नन्दी महरा सा० देह	४७७	बहरार	वगार२	२-४	०-१०	०-२३									
			४७८	वगार	गटौर२	-१५	१-०८	१-०२									
			४७९	वगार२	,,	-१५	०-१०	०-०६									
			रकबा ३				१-२८	१-३४	१-)	६७३-२१	१००-६८					१७७४-१९	
	रामसेवा वल्द लेम करण तेली सा० देह	रामसेवक वल्द लेम करण तेली सा० के०	४६६	जंगल	वगार	-४	०-८०	०-२०	१-)	६७-८६	२४-७८	११				१११-४४	Paid 15/3/63
,,	ननकू व फिशा व रमइया व सदइया पि० नानकुनी नाई सा० केल्हारी	ननकू व फिशा व रमइया व सदइया पि० नानकुनी	४७५	जंगल	गटौर२	-१५	१-८०	१-६६	१-)	८४५-४४	१२६-८२	महुवा ६	२०-००	१२०-०		१०८६-२४	Paid 19/3/63
मीजान ग्राम देवरी			रकबा ७	बहरार ०-१० / गटौर२ ०-९८ / गटौर३ ३-०० / वगार ११-८१			१७-८६	७-३२		३६६७-४७	५५०-२०	महुवा १४		२८०-००		४४८७-६७	
१ ग्राम अदई दरगवा ६६६	दल्लू वल्द मोहरिहा कोल सा० देह	गल्लू वल्द मोहरिया कोल सा० देह	७१६-०	वगार	वगार	-४	०-४५	०-११	१-)	५४-७६	८-२२				म०१ ५०-०	१११-०१	
२ ,,	मोहरिहा कोल सा० देह फौत	गल्लू वल्द मोहरिहा कोल सा० देह वा०	७१६ / ७०३	गटौर३	गटौर३	०-५	०-१६	०-०६	१-)	३२-३१	४-६६					३६-००	
३ ,,	मरोसा वल्द माधो कोल सा० देह	मरोसा वल्द माधो कोल सा० देह	७१५	जंगल	वगार१	०-६	०-७५	०-१६									
			७२० / ७००	गटौर३	गटौर३	०-४	१-००	०-३९									
			रकबा २				१-७५	०-५०	१-)	२५०-५०	३९-५७					[illegible]	Paid 17/3/63
४ ,,	बाबू कृष्णा कुमार वल्द केवल कृष्णपुरी सा० कपुरी	बाबू कृष्णा कुमार वल्द केवल कृष्णपुरी सा० कपुरी	७३० / ७९८	गटौर२	गटौर२	०-१२	१-७५	१-३२	१-)	५५०-५६	१८-६३	महुवा २	२०-०	४०-००		१०६६-१९	Paid 14/3/63
५ ,,	मरोसा वल्द माधो कोल सा० देह	मरोसा वल्द माधो कोल सा० देह	७१९	गटौर३	गटौर३	०-५	०-६६	०-२१									

(255)

50 COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY 50 PAISE
50 COURT FEE INDIA FOR COPYING FEES ONLY 50 PAISE
CANCELLED

	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
				७५१	कंठ	बगारर	०-४	०-०४	०-०१												
				७५१/४	,,	,,	,,	०-२०	०-०१												
				७२०/१ ७००	मटीरश	मटीरश	०-५	१-००	०-३१												
				अबिता				१-६३	०-५८	(१-)	१२८६-६४	१३-५६								[illegible]-२३	
६	बरगवां	बिरजू वल्द [illegible] मरिया साo देह	मरोसा कोठ साo देह	७५१	मटीरश	मटीरश	०-५	०-२५	०-०८	(१-)	१३६-२४	१५-[illegible]								[illegible]-०१	
७	,,	मक्खनदास वल्द बद्रीनाथ ठाकुर साoदेह	मक्खनदास वल्द बद्रीनाथ ठाकुर साoदेह	७५५	कंठ	बारी	१-[illegible]	०-२६	०-२४	(१-)	११७०-४२	१७०-६१	महुआ १	२०-००	२०-००	१५०५०१	(१५००)	[illegible]	[illegible]	[illegible]-०३	
८	,,	हरिप्रसाद वल्द बुद्धराम पानी साoदेह	हरिप्रसाद वल्द बुद्धराम पानी साo देह	७५५/२	कंठ	बारी	१-८	०-२६	०-२४	(१-)	११७०-४२	१७०-६१	बामूर १	२०-००	२०-००	१५०५०१	(१५००)			[illegible]-०३	
९	,,	टीकाराम वल्द छत्री बन्द कैलाश साo नपुरी	टीकाराम वल्द छत्रीनंद कैलाश साo नपुरी	७५५/३	कंठ	बगार	२-४	०-४५	०-२२	(१-)	१६२-६२	१६-३८	महुआ १	२०-००	२०-००					१२३-[illegible]	
१०	,,	गोपाल वल्द मर्कंडू मीं साo मैकि	गोपालल्द मर्कंडू मीं साo मैकियाराव	७५५/५	कंठ	बगार	०-४	०-२६	०-०६	(१-)	१४३-०६	१६-९०	महुआ०	२०-००	[illegible]					१२८-[illegible]	
११	,,	मरोसा वल्द माधो कोठ साo देह	कमला प्रसाद सुनन्दन ठाकुर साo देह	७५५/४	कंठ	बारी	१-८	०-०२	०-०२	(१-)	७०-८३	१९-२५				१५०२	(५००)			१५०८-६८	
१२	,,	मरोसा मकूर	नरहरा वल्द कंधारी साo देह	७५५/६	कंठ	बारी	१-८	०-२०	०-[illegible]	(१-)	१७८-२०	१११-७३	बामर हाo	२०-००	[illegible]	१५०५०१	(५००)			१६३०-००	
१३	,,	,,	कनू कोठ साo देह	७५५/४	कंठ	बारी	१-८	०-२०	०-[illegible]	(१-)	१२५६-५५	१२३-४६	ब			१५०५०	(६००)			[illegible]-०१	
१४	,,	,,	नारायण वल्द प्यारे ठाठ कियारी साo देह	७५५/८	कंठ	बारी	१-८	०-२०	०-[illegible]	(१-)	१२५६-५५	१२३-४६				१५०५०	(५००)			[illegible]-०१	
१५	,,	[illegible] राम वल्द रघुनंदन [illegible] साoदेह	[illegible] राम वल्द रघुनंदन [illegible] साo देह	७२६	मटीरश	मटीरश	०-५	१-२०	०-[illegible]	(१-)	१२७७-७७	१२८-१६	हर्रा १ चरई १	१५-००	१०-००					१२२-०६	
१६	,,	[illegible]क्या वल्द [illegible] बैगा साo देह	पोलक्या बैगा साoदेह	७२६	मटीरश	मटीरश	०-१२	१-६१	[illegible]												
				७२०	मटीरश	मटीरश	०-५	०-१०	[illegible]												
				रधिबा				१-०१	[illegible]	(१-)	१६२६-२५	[illegible]	सरई १	१५-००	१५-००					१६२५-[illegible]	
१७	,,	पोठा व बड़ी पि[illegible] मसाईन पंसारी साo कलारी	पोठा व बड़ी पि[illegible] मसाईन पसारी साo कलारी	७५६/५२	मटीरश	मटीरश	१-२२	०-२०	०-[illegible]	(१-)	११७०-४२	१७०-६१ ब								४१३५-०३	

Paid 17/1/13

Paid 7/1/13

Paid 17/1/13

Paid 17/1/13

सूचना पत्र एवं साधारण [illegible] विज्ञप्ति [illegible]

(257)

(ग)

१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	३१
८	बरक्कां	बहादुर खानी आत्मबहादुर खानी हा० देह		बरानी	बरानी	१८-४१	०-२१	०-२१	(३२१-)	१२२१-४२	१८-२०				Paid 1/1/63 १३३६-४३
सरकार–		मीवान ग्राम बरक्कां	रकबा	बरानी	१०-८१		१८-३०	१४-२८	(३२१-)	१२०६५-४३	१६०-००	बाबत महसूल		१२८४-००१	१६६०३६ [illegible] ११०२०-४१
				गटौर	१२-४४							चाही			
				गटौर	१४-४४							चाही			
				बारी	१०-८२										
				बगार	१२-२४										
२	बीठीस	रोशमा वल्द बाला / पिन्दा / रोशमा वल्द [illegible] गोविन्द हा० केल्लोरी / पंवारी हा० केल्लोरी	[illegible]	बगार	बगार	१-४	१०-८२	१०-२	(३२१-)	[illegible]	१२५-४६	खिलाव	१३-००	१६-००	१३३८-४४
२		मिठ्ठू वल्द चेता / कोठ हा० मठि०	मिठ्ठू वल्द चेता कोठ हा० मेख्यिाराम	२०१	बगार	गटौर	१-८	१८-२३	१०-४६			खिलाव	१३-००	१४-००	
				२०२	,,	,,	,,	१८-३०	१०-६८			बाबत हा०	२०-००	२०-००	
												खिलाव	१३-००	१८-००	
				२०३	,,	,,	,,	१८-२२	१०-६२			खिलाव	१३-००	१४-००	Paid
				कमिता			[illegible]			(३२१-)	१२२२-६८	१२३४-०४ बाबत खिलाव		१७०-०	१२५५
३		परणा वल्द हर कु० / दीन गौड़ सा० देवाणा गौड़ हा० / फौत	परबतिया बौने पर / बार्य / आवार	२०५	बगार	बगार	१०-४	१२-२४	१०-८	(३२१-)	[illegible]-६४	१६४-२६	खिलाव	१३-००	१३३-००	13/8/64 १३२४-६३
												खिलाव	१३-००	१३३-००	
		सुखदेवना वल्द हिरवा / वा कोठ हा० मेख्यि०	सुखदेवना वल्द हिरवा / कोठ हा० मेख्यिाराम	२००	बगार	गटौर	१-४३	१-२४	१-४२			खिलाव	१३-००	१३-००	Paid 10-7-64
				२०६	बगार	,,	,,	१-०८	१०-००			खिलाव	१३-००	१४-००	
				२०८	,,	गटौर	-८	१२-६४	१०-८२						
				कमिता				१३-०२	३-४	(३२१-)	१२००६-४२	१२४५-०० खिलाव		१४२-००	१२००४-४६
		हिरवा वल्द पीरूल / कोठ हा० मेख्यिाराम (फौत)	सुखदेवना व कृपु व दुला / वा कोठ हा० मेख्यि० (वारिस)	२०७	बगार	गटौर	१०-८	१०-४४	०-२८	(३२१-)	१२३३-०८	१२६-६४	खिलाव	१३-००	१६-००	Paid 1/8/6[illegible] १६२-०३
		कृपु वल्द पीरूल / कोठ हा० मेख्यि० / फौत	मिठ्ठू व सुलाल व वेन / ला व मिक्कु कोठ हा० / मेख्यिाराम (वारिस)	२०६	बगार	गटौर	१-८	१०-२२	०-[illegible]			खिलाव	१३-००	१६-००	
				२१०	,,	बगार	१-४	१०-२०	०-००						
				२११	,,	,,	,,	१२-००	०-३			खिलाव	१३-००	१३-००	
				२१३	,,	,,	,,	१८-०२	०-२			खिलाव	१३-००	१६-००	
				कमिता				१२-०३	०-०	(३२१-)	१२४०-०३	१४४-०२	खिलाव ४-००		१२४-००	Paid १३२६-९०
		रघुनन्दन वल्द हो / मारीमुर्ती हा० / मेख्यि० (फौत)	कु० लक्ष्मी बेबा आमी / ठीठ हा० मेख्यि० / (वारिस)	२१२	बगार	बगार	१-४	१२-२२	०-[illegible]	(३२१-)	१२१०-६०	१२६-६२	खिलाव	१३-००	१४-००	12/2/64 १७७-०२ नक्ल
		मीजान कुल ग्राम बोठी	रकबा		गटौर	२-००						बाबत			
					गटौर	६-००	१६-००	[illegible]	[illegible]	१२००८-३०	१४६६-९२	खिलाव ६६		१२२७-००	१४४०२-०६ नक्ल

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिन्क रोड नं0-3/Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2465054,2463102, 2465496,2466525
Rkkj /Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPB085/2005-BHO/ 1057 दि॰ 08-06-2006

प्रति,

प्रधान सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: अनूपपुर जिले के अन्तर्गत अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 210 मेगावाट यूनिट क्रमांक-5 के विस्तार ईकाई के उपसंगीय कार्य निर्माण के लिए 3.668 हे0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-MPB085/2005-BHO/1923 दिनांक 22-9-2005
2. मु0व0सं0(भू-प्रबंध),मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-4/14/2005/10-11/विद्युत/1067 दिनांक 26/05/06

महोदय,

कृपया मध्यप्रदेश शासन के उक्त विषयक पत्रांक एफ-4-14/21/2005/10-11/विद्युत/2075 दिनांक 12-08-2005 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से अनूपपुर जिले के अन्तर्गत अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 210 मेगावाट यूनिट क्रमांक-5 के विस्तार ईकाई के उपसंगीय कार्य निर्माण के लिए 3.668 हे0 वनभूमि का वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. (अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर जिला-अनूपपुर, तहसील-अनूपपुर के ग्राम-चचाई आबाद के पटवारी हल्का केल्होरी नं0 46 के खसरा क्रमांक 230, 231, 232, 247/182, 248, 249 व 260 में 3.670 हे0 गैर वनभूमि पर इस आदेश के जारी होने के दो वर्ष के अन्दर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

ब) इस गैरवनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।

(स) इस गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर का पुनरीक्षण(Revision) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है । उपयोगकर्ता अभिकरण से इस आशय का एक वचनपत्र(Undertaking) लिया जाए कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर के उर्ध्वगामी/उर्ध्वमुखी (Upward) पुनरीक्षण की स्थिति में, उसे उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

4. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि केम्पा (CAMPA) को हस्तांतरित की जायेगी । जब तक इस सम्बन्ध में उपयुक्त लेखाशीर्ष को संसूचित (Communicate) किया जाये तब तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 22/03/2004 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त निधियॉं संबंधित वनमण्डलाधिकारी या नोडल अधिकारी के नाम से किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में नियत जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी । Net Present Value हेतु उपयोगकर्ता द्वारा जमा की गई धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा ।

5. पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना, 1994 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक स्वीकृति लेने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

भवदीय,

(सुजाय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ०सी०) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधि०, मध्यप्रदेश, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अनूपपुर, जिला-अनूपपुर, मध्यप्रदेश ।
4. अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता(सिविल), निर्माण संभाग, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल चचाई, जिला-अनूपपुर, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(सुजाय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

KARTIKAPPORDER/OTHERS